49

मध्यप्रदेश शासन
गृह (सामान्य) विभाग
<u>मंत्रालय , भोपाल</u>

क्रमांक एफ 31-11/2013/दो ए(3) भोपाल, दिनांक 11/8/2014

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
समस्त संभागायुक्त,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त कलेक्टर,
मध्य प्रदेश।

विषय :-युद्ध अथवा सैनिक कार्यवाही में सेना तथा अर्द्धसैनिक बलों के मध्यप्रदेश राज्य के निवासी अधिकारी/सैनिकों की मृत्यु होने पर उनकी विधवाओं एवं विकलांग हुए कर्मियों को वित्तीय सहायता एवं अन्य सहायता।

संदर्भ:- इस विभाग का परिपत्र क्रमांक एफ 31/17/99/दो-ए(3), दिनांक 15/03/2000, समसंख्यक पत्र दिनांक 02/11/2000, 11/04/2001, 17/04/2001, सामान्य प्रशासन विभाग का परिपत्र क्रमांक एफ 9-3/2000/आ.प्र./एक, दिनांक 11/10/2001, समसंख्यक परिपत्र दिनांक 01/10/2009 ।

---000---

उपर्युक्त विषयांतर्गत संदर्भ मे लेख है कि, युद्ध अथवा सैनिक कार्यवाही मे सेना तथा अर्द्धसैनिक बलो के मध्यप्रदेश राज्य के निवासी अधिकारी/सैनिको की मृत्यु होने पर उनकी विधवाओं/आश्रितो अथवा विकलांग हुए कर्मियों को मुख्यमंत्री कारगिल सहायता कोष से वित्तीय एवं अन्य सहायता उपलब्ध कराने के लिये आर्मी हेडक्वार्टर द्वारा जारी बैटल कैज्युल्टी आदेश को अभी तक पात्रता का आधार माना जाता रहा है। आर्मी हेडक्वार्टर द्वारा बैटल कैज्युल्टी की परिभाषा मे ऐसी दुर्घटनाओं को भी शामिल किया गया है, जो प्राकृतिक दुर्घटना की श्रेणी मे आती है।

2- गृह विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ 31/1/2013/दो-ए(3), दिनांक 19/03/2013 द्वारा युद्ध एवं सैनिक कार्यवाही के साथ साथ आतंकवादी, नक्सलवादी तथा आतंरिक सुरक्षा कार्यवाही के दौरान शहीद अथवा विकलांग होने वाले सैना एवं केन्द्रीय अर्द्धसैनिक बलों के अधिकारियों तथा सैनिकों के लिए भी संदर्भित परिपत्रों के प्रावधान लागू किए गये है।

3- राज्य शासन एतद्द्वारा युद्ध एवं सैनिक कार्यवाही के अंतर्गत निम्न प्रकार की बैटल कैज्युल्टी को पात्रता का आधार मान्य किए जाने की स्वीकृति प्रदान करता है:-

1- विदेशी सेना या सशस्त्र व्यक्तियों या सीमा पुलिस से मुठभेड़ या सरकार के आदेश पर विदेश मे शांति स्थापना मे सक्रिय सेवा के दौरान दुर्घटना ।

2- विदेशी हवाई हमला प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष के फलस्वरूप दुर्घटना ।

3- सशस्त्र विरोधियों के विरूद्ध कार्यवाही अथवा आंतरिक सुरक्षा एवं आवश्यक सेवाओं के संधारण हेतु नागरिक सुरक्षा अधिकारियों को मदद के दौरान दुर्घटना।

4- युद्ध जैसी कार्यवाही की तरह शांति काल मे लड़ना या पडोसी देश से सीमा में मुठभेड मे दुर्घटना।

5- युद्ध/सैनिक कार्यवही के लिये सेना का संचालन या तैनाती के समय आतंकवादियों/देशविरोधी घटको द्वारा रेलगाडी/बस/पोत/हवाई जहाज में सुरंग/बम विस्फोट के फलस्वरूप दुर्घटना ।

4- भविष्य में उक्त 05 प्रकार की घटनाओं के कारण शहीद हुए सैनिकों/अधिकारियों के सम्बन्ध में मध्यप्रदेश् कारगिल सहायता निधि से सहायता राशि उपलब्ध कराने हेतु प्रस्ताव संचालक, सैनिक कल्याण व्दारा संदर्भित परिपत्रों को ध्यान में रखते हुए विभाग को प्रेषित किए जावें ।

5- यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार
8/8/14
(लक्ष्मीकान्त द्विवेदी)
उप सचिव
म0प्र0 शासन, गृह विभाग
भोपाल, दिनांक 11/08/2014

पृ0क्र0 एफ 31-11/2013/दो ए(3)

प्रतिलिपि:-

1- राज्यपाल के सचिव, राजभवन, मध्यप्रदेश, भोपाल
2- महालेखाकार, मध्यप्रदेश, ग्वालियर/भोपाल
3- पुलिस महानिदेशक, पुलिस मुख्यालय, भोपाल
4- प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री कार्यालय, भोपाल
5- प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय भोपाल
6- प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग मंत्रालय भोपाल
7- आयुक्त जनसंपर्क , मध्यप्रदेश शासन, भोपाल
8- स्टाफ आफीसर, मुख्य सचिव कार्यालय, मंत्रालय भोपाल
9- संचालक, सैनिक कल्याण संचालनालय, भोपाल
10- समस्त जिला सैनिक कल्याण अधिकारी, मध्यप्रदेश
11- **Adjutant General Branch MP 5 (D), Integrated HQ Mod (Army) West Block III, RK Puram, New Delhi- 110066**
12- **Adjutant General Branch MP 6 (D), Integrated HQ Mod (Army) West Block III, RK Puram, New Delhi- 110066**

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

8/8/14
उप सचिव
म0प्र0 शासन, गृह विभाग